महत्वपूर्ण एवं खास

शीतला मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

भिलाई-रायपुर (आरएनएस)। भिलाई के रिसाली इलाके के मरोदा टैंक स्थित मां कल्याणी शीतला मंदिर में चोरी हुई है। चोरों ने ताला तोडक़र दान पेटी से पैसे और गर्भगृह में घुसकर मां शीतला का हार चुरा लिया। जब सुबह पुजारी को जानकारी हुई, तो समिति के लोगों को दी। जिसके बाद नेवई थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। मंदिर समिति के लोगों ने पुलिस को बताया कि, मंदिर के दानपात्र में लाखों रुपए थे, जिसे चोर चुरा ले गए हैं। उन्होंने मंदिर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। चोरी करते समय चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो पता चला कि, एक आरोपी मुंह पर गमछा बांधकर मंदिर में घुसा था। उसने जैकेट पहन रखी थी। पहले उसने मंदिर का ताला तोड़ा। इसके बाद अंदर घुसकर चोरी की। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

तेज रफ्तार कार से टकराई, बाल-बाल बचा एनएमडीसी कर्मी

जगदलपुर-रायपुर (आरएनएस)। नगरनार थाना क्षेत्र के ग्राम तिरिया में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, इस हादसे के बाद कार में आग लग गई, वही कार में सवार एनएमडीसी कर्मचारी ने कूदकर अपनी जान बचाई, घटना की जानकारी लगते ही फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुँचकर आग को बुझाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, बताया जा रहा है कि कल दोपहर एनएमडीसी में पदस्थ कर्मचारी अपनीकार लेकर तिरिया जंगल की ओर जा रहे थे। अचानक से चालक का नियंत्रण बिगडऩे से कार पेड़ में जा टकराई। इस हादसे के तत्काल बाद कार में आग लग गई। चालक ने किसी तरह से अपने आप को बाहर निकाला और मौके से भाग निकला। घटना के बाद आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी फायर बिग्रेड को दी। मौके पर पहुँची टीम ने आग को बुझाते हुए काबू पाया। आगजनी के बाद कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। फिलहाल कार चालक की तलाश की जा रही है।

बलात्कार का आरोपी बिलासपुर से गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। पीड़िता थाना आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका अपने पति से संबंध टूटने के बाद वह अलग रह रही थी इसी दौरान इसके पूर्व परिचित रोहित सोनी का घर में आना जाना बढ़ गया और आरोपी रोहित सोनी के द्वारा अपनी पत्नी से अच्छा सबंध नहीं होने के कारण उसको छोडक़र पीड़िता से शादी करूंगा कहकर बहला फुसलाकर कर लगातार शारीरिक संबध बनाया है कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर थाना प्रभारी मौदहापारा निरीक्षक यामन कुमार देवांगन के नेतृत्व में प्रकरण के फरार आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। नाम आरोपी - रोहित सोनी पिता स्व. दौलत राम सोनी, 43 वर्ष साकीन वैष्णव विहार फेज 2 उसलापुर थाना संकरी बिलासपुर स्थायी पता ग्राम तुसार जैजैपुर जिला सक्ती।

चोरी का फरार आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। दिनांक 25.01.2023 को प्रार्थी ज्ञानेश कुमार दीक्षित थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका मो सा हीरो पैशन प्रो को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है, जिस पर थाना मौदहापारा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया द्य विवेचना के दौरान पता कि आरोपी बलौदा बाजार में उक्त चोरी के मो.सा. से शराब परिवहन करता पाए जाने पर आबकारी एक्ट में कार्यवाही की गई है द्य परन्तु आरोपी उसके बाद से फरार चल रहा था जिसे आज भटगांव से हिरासत में लेकर लाया गया, आरोपी से पूछताछ करने पर चोरी चोरी करना स्वीकार किया, आरोपी के विरुद्ध धारा सदर का पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

किसानों को मिल रहा मेहनत का फल, सरकार की व्यवस्था हो रही सफल

- किसान विश्वनाथ धान बेचकर चुकाएंगे अपना कर्ज

रायपुर । आरएनएस

नारायणपुर जिले के किसान विश्वनाथ को खेती किसानी करने के लिए कर्ज को छूटने में कोई परेशानी नही होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गारंटी को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीद रही है। देवांगन ने बताया कि वह धान बेचकर मिलने वाली राशि का उपयोग कर्ज चुकाने और खेती बाड़ी के साथ-साथ पारिवारिक कार्यों में उपयोग करेंगे।

विश्वनाथ देवांगन ने बताया कि उनके पास 3 एकड़ कृषि भूमि है। इस जमीन में कृषि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की जरूरत पड़ती है। सोसायटी से मिलने वाले खाद के अतिरिक्त बाजार से महंगे दामों में खाद-उर्वरक खरीदने से आर्थिक बोझ बढ़ जाता था, इसके लिए कर्ज लेकर खेती करना पड़ता था। ज्ञात हो पूरे छत्तीसगढ़ सहित नारायणपुर जिले में 14 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। जिलें में 17 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान की खऱीदी की जा रही है।

धान बेचने आए किसान विश्वनाथ देवांगन ने बताया कि उनका 03 एकड़ खेत है और आज बुधवार को धान खरीदी केन्द्र माहाका में 80 क्विंटल धान बेचा है। उनका कहना है कि इस बार समर्थन मूल्य पर धान बेचने की प्रक्रिया पहले से अधिक सुगम और पारदर्शी तरीके से चल रही है। ऑनलाइन टोकन प्रणाली के कारण किसानों को अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। देवांगन ने कहा कि केन्द्र पर समुचित व्यवस्था और अधिकारियों के सहयोग देखकर खुशी हुई। अब किसानों को बिचौलियों की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि उनके कुछ साथी किसानों ने कहा कि धान बेचने के दूसरे दिन भुगतान हो गया।

उन्होंने कहा कि सरकार की इस व्यवस्था से किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। किसानों को समय पर धान की राशि का भुगतान हो रहा है। देवांगन ने कहा कि लंबी कतारों से बचने के लिए सरकार ने पहले से स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था सराहनीय है। इससे हमारी मेहनत का सही दाम मिल रहा है। किसान विश्वनाथ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि ऐसी सुविधाएं भविष्य में भी जारी रहेंगी।

70 व अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 5 लाख तक नि:शुल्क चिकित्सा

धमतरी । आरएनएस

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 29 अक्टूबर 2024 को देश के 70 एवं 70 से अधिक आयु वर्ग के समस्त वरिष्ठ नागरिको को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत 5 लाख रुपए तक मुफ्त उपचार लाभ दिये जाने के उद्देश्य से आयुष्मान वय वन्दना कार्ड के माध्यम से योजना का शुभारम्भ किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ यू एल कौशिक ने बताया कि योजनांतर्गत जिले के सभी वरिष्ठ नागरिको (आधार कार्ड के अनुसार, जिनके उम्र 70 या 70 से अधिक हो) को आयुष्मान वय वन्दना कार्ड पंजीयन का लाभ दिया जाना है। धमतरी जिले के सभी वरिष्ठ नागरिको (70 व 70+ आयु वाले) को अपने नजदिकी, किसी भी उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल कुरुद, नगरी, बोरई, सामु, स्वा. केन्द्र गुजरा, मगरलोड, भखारा, जिला अस्पताल धमतरी, योजना मे पंजीकृत किसी भी निजि अस्पताल के अलवा चिन्हांकित च्वाइस सेंटर में आधारकार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर सहित स्वयं उपस्थित होकर आयुष्मान वय वन्दना कार्ड पंजीयन कराना होगा। जिसमे सभी वरिष्ठ नागरिको को संयुक्त रुप से अतिरिक्त 5 लाख रुपए का टॉप-अप योजनांतर्गत प्राप्त होगा, जो कि परिवार के अन्य सदस्यो द्वारा योजनांतर्गत उनकी पात्रता के अनुसार प्रस्तावित बीमा कवर का आंशिक या पूर्ण उपयोग कर लेने के बाद भी वरिष्ठ नागरिको को प्रदान किया जायेगा। कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी ने जिले के सभी वरिष्ठ नागरिको को शीघ्र अतिशीघ्र अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या च्वाइस सेंटर मे उपस्थित होकर आयुष्मान वय वन्दना कार्ड पंजीयन कराकर योजना का लाभ प्राप्त करने अपील किया है। इसके लिए अनिवार्य दस्तावेज : केवल आधार कार्ड एंव आधार लिंक मोबाइल नंबर लाना होगा।

प्रदीप उपाध्याय आत्महत्या मामला : प्रेम प्रसंग के चलते क्लर्क ने किया था सुसाइड, पुलिस ने मोबाइल चैट के जरिये किया बड़ा खुलासा, कमिश्नर को सौंपी जांच रिपोर्ट

रायपुर । आरएनएस

कलेक्टर कार्यालय राजस्व विभाग में पदस्थ क्लर्क प्रदीप उपाध्याय की आत्महत्या मामले में पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रायपुर पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि प्रदीप ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की थी. पुलिस ने इस संबंध में जांच प्रतिवेदन कमिश्नर महादेव कावरे को सौंप दिया है.

रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग चलते क्लर्क ने आत्महत्या की थी. पुलिस को जांच में अन्य लोगों के मोबाइल चैट से यह जानकारी मिली है कि प्रदीप उपाध्याय मानसिक तनाव में थे. हालांकि, मृतक के परिजनों ने जांच में पुलिस का सहयोग नहीं किया. पुलिस ने जांच प्रतिवेदन कमिश्नर को भेज दिया है.

प्रदीप उपाध्याय ने सुसाइड नोट में अधिकारियों पर लगाए थे गंभीर आरोप

बता दें कि क्लर्क प्रदीप उपाध्याय ने 28 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले प्रदीप उपाध्याय ने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने विभाग के तीन अधिकारियों तत्कालीन एडीएम गजेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र बहादुर सिंह और एडीएम देवेंद्र पटेल पर प्रताडऩा का आरोप लगाया था. इस घटना के बाद सर्व ब्राम्हण समाज ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा था. ज्ञापन में मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट का हवाला देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताडऩा का आरोप लगाया गया. वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई थी.विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा था. इस मामले में जांच की जिम्मेदारी त्रष्ठ ने संभाग आयुक्त महादेव कावरे को सौंपी थी.

सुसाइड नोट में लिखी ये बातें

मृतक प्रदीप उपाध्याय ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि, 'मैं प्रदीप उपाध्याय पूरे होश हवास में यह आत्महत्या पत्र लिख रहा हूं. मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन अधिकारियों का नाम है. उन्हें भाजपा सरकार या तो कांग्रेस पार्टी जरूर सजा दिलाएगी. मैं पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य कर रहा था.'

मुझे डायवर्सन शाखा के साथ राजस्व आपदा का काम सौंपा गया था. मुझे परेशान करने के लिए देवेंद्र पटेल तत्कालीन स्ष्ठद्ब रायपुर आज दिनांक में कलेक्ट्रेट रायपुर में ्रष्ठरू है. गजेंद्र ठाकुर अपर कलेक्टर के साथ मिलकर मुझे नजीर शाखा में अतिरिक्त कार्य सौंपा गया.'

'मैं अपना काम निष्ठा से कर रहा था, लेकिन अधिकारियों तत्कालीन ्रष्ठरू गजेंद्र ठाकुर, तत्कालीन ्रष्ठरू वीरेंद्र बहादुर और स्ष्ठद्ब देवेंद्र पटेल ने किसी नेता से मेरी फर्जी शिकायत कराकर मेरा खरोरा ट्रांसफर कर दिया. हर अधिकारी से मेरी बुराई की गई. जिससे कलेक्टर के सामने मेरी छवि खराब की गई.'

'लेकिन मेरी शिकायत प्राप्त नहीं होने पर देवेंद्र पटेल और गजेंद्र ठाकुर द्वारा भूमिका बनकर किसी नेता से तत्कालीन कलेक्टर को फोन कर शिकायत कराई गई. मुझे खरोरा ट्रांसफर कर दिया गया. देवेंद्र पटेल द्वारा किसी न किसी रूप से मुझे परेशान किया गया. मेरे खिलाफ बार-बार हर अधिकारी के पास मेरी बुराई की.

राजधानी में इस वर्ष फरवरी से नवंबर तक 7970 अपराध दर्ज

रायपुर । आरएनएस

आईजीपी रायपुर अमरेश मिश्रा और एसएसपी संतोष सिंह के निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां, बदमाशों व अड्डेबाजी पर कार्यवाही, विजिबल पुलिसिंग और नशे के खिलाफ कार्यवाहियों पर जोर दिया जा रहा है।

जिला रायपुर में माह फरवरी से अब तक आईपीसी/बीएनएस के तहत 7970 अपराध दर्ज किए गए हैं। पिछले साल इसी अवधि में 8224 अपराध दर्ज हुए थे। इस तुलनात्मक अवधि में अपराधों में 3 प्रतिशत की आंशिक कमी हुई है।

पिछले साल चाकूबाजी की 171 की जगह 102 घटनाएं और हत्या के 54 की बजाय 58 घटनाएं हुई हैं। चाकूबाजी में 40 फीसदी की कमी, हत्या में 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। छेड़छाड़/यौन हिंसा में 28 फीसदी, बलात्कार में 8 फीसदी, चोरी में 9 और मारपीट में 3 प्रतिशत की कमी है। इस वर्ष माह फरवरी से चलाए जा रहे नशे के खिलाफ निजात अभियान के कारण एनडीपीएस व आबकारी के दर्ज प्रकरणों में तेजी के कारण कुल पंजीबद्ध अपराध में बढ़ोतरी परिलक्षित हो रही हैं।

जिले में संचालित जनक वृद्धाश्रम बना बेसहारों का सहारा

- वृद्धाश्रम में 60 वर्षीय सुलोचनी और 78 वर्षीय तिफिल एक्का को दिया गया आश्रय

जशपुरनगर । आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार बेसहारा और असहाय वृद्धजनों को सहारा मिले इस उददेश्य से जिले में समाज कल्याण विभाग के तत्वाधन में छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान द्वारा संचालित जनक वृद्धाश्रम बांकीटोली में संचालित हैं। जहां वृद्धजनों और बेसहारो को सहारा मिल रहा है। इसी कड़ी में पत्थलगांव विकासखण्ड के ग्राम बांसपारा निवासी 60 वर्षीय सुलोचनी मिंज और 78 वर्षीय तिफिल एक्का को जनक वृद्धाश्रम में संरक्षण प्रदान किया गया है।

जनक वृद्धाश्रम बांकीटोली से प्राप्त जानकारी अनुसार बांस पारा निवासी सुलोचनी मिंज एवं तिफिल एक्का झोपड़ी में अकेला रहते थे। जिनका शारीरिक एवं आर्थिक स्थिति कमजोर हैं। इनके पास में रहने वाली सुरस्ती मिंज द्वारा वृद्धाश्रम के कर्मचारी को फोन के माध्यम से सूचना देने पर तत्काल निवास पते में जाकर सुलोचनी एवं तिफिल का जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार करने के बाद वृद्धाश्रम में संरक्षण प्रदान किया गया है। इस कार्यं वृद्धाश्रम प्रबंधक कु. वन्दना तिग्गा, सामाजिक कार्यकर्ता जमनी बाई, मालती यादव, गांगी बाई, सुभन यादव आदि कर्मचारी का सहयोग रहा। वृद्धाश्रम समाज सेवा-जन सेवा करने हेतु संचालक वृद्धाश्रम का संपर्क नम्बर 7898817658 एवं 7804036672 है।

जग्गी हत्याकांड : आरोपी याहया ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, दो अन्य आरोपियों को मिली बेल

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड में आरोपी बनाए गए याहया ढेबर की जमानत याचिका खारिज हो गई है. मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला सुनाया. मिली जानकारी के अनुसार जग्गी हत्याकांड के शूटर्स जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी याहया ढेबर की थी. इसके अलावा शूटर्स जिस घर (बत्रा हाउस) में रुके थे वो घर भी याहया की ही थी. इसे आधार बनाते हुए चीफ जस्टिस खन्ना ने याहया ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके अलावा इस मामले में 2 अन्य आरोपी अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.

इससे पहले रामावतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडेय और आरसी त्रिवेदी समेत छह लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. इन आरोपियों को छह माह पहले दोबारा जेल में दाखिल किया गया था. सभी आरोपी पांच साल से अधिक समय तक जेल में बीता चुके हैं. वकीलों ने बताया कि आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद छह आरोपियों की जमानत के आदेश दिए हैं. अब आदेश की मूल प्रति रायपुर की अदालत में जमा की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों की जेल से रिहाई के आदेश होगा.

बता दें कि जग्गी हत्याकांड में जमानत निरस्त होने के बाद पुलिसवालों समेत जग्गी हत्याकांड समेत सभी आरोपियों को वापस जेल दाखिल करने के आदेश दिए गए थे. इस आधार पर सभी ने इस साल जून महीने में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.

हत्या के चंद घंटो के भीतर 3 आरोपी गिरफ्तार

- अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी
- गिरफ्तार आरोपियों मे एक विधि से संघर्षरत बालक भी

मंदिर हसौद/रायपुर । आरएनएस

विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.11.2024 को थाना मंदिर हसौद मे ग्राम सरपंच बाहनाकाडी द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम के खदान पारा मे कोई अज्ञात व्यक्ति का शव झाडिय़ों मे छुपाकर रखा है आसपास खून के निशान है उपरोक्त सूचना से तत्काल पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ0 संतोष कुमार सिंह के दिशानिर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर के नेतृत्व मे नगर पुलिस अधीक्षक माना, लम्बोदर पटेल थाना प्रभारी सचिन सिंह द्वारा एफ0एस0एल0 टीम, डॉग स्क्वाड व एआईसीसीयू, की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया गया। कुछ घंटे पता तलाश करने बाद शव की पहचान रमेश कोल पिता छोटे कोल उम्र 19 वर्ष पता बघौर जिला सिधी के रूप में हुई जो पास के दुबे गि?ट्टी खदान मे हाईवा हेल्पर के रूप में काम करता था। तकनीकि साक्ष्यों को विश्लेषण व मुखबिर सूचना के आधार पर पता लगा कि मृतक को अंतिम बार किशन राजपूत, रोशन ध्रुव और विधि से संघर्षरत बालक के साथ देखा गया था, बाद तीनो को थाना तलब कर पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और विस्तृत पूछताछ में बताया कि किशन राजपूत की महिला मित्र को मृतक रमेश ने एक दिन पहले गाली गलौच किया था जिससे किशन नाराज था दिनांक 25.11.2024 को दरम्यानी रात तीनो खदान पारा खेत के तरफ बैठे थे किशन व अन्य साथियों ने मृतक को ऐसा न करने समझाईश दी। वाद विवाद बढऩे पर हाथापाई के दौरान पास मे पड़े लकड़ी के डंडी से मृतक के सर पर लगातार वार किये मर जाने पर घटना स्थल के पास शव को झाड़ी में छुपाना बताया। घटना में प्रयुक्त लकड़ी के डंडी को आरोपियों से बरामद किया गया मृतक के मोबाईल को विधि से संघर्षरत बालक से बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना मंदिर हसौद टीम एवं एआईसीसीयू, से उप निरीक्षक राजेन्द्र कवंर व उनकी टीम की भूमिका सराहनीय रही।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारें के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारें के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

आयुष्मान वय वंदना कार्ड से 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 5 लाख तक का नि:शुल्क इलाज

- जिले के 44 स्वास्थ्य केंद्रों में बनाया जा रहा है आयुष्मान वय वंदना कार्ड

जशपुरनगर । आरएनएस

आयुष्मान वय वंदना'' कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 5 लाख तक नि:शुल्क इलाज किए जाने का प्रावधान है। जिले के 44 स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप योजना के तहत जिले के सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ दिया जाना है। पात्रता का आधार हितग्राही की आयु ही मात्र होगी, जिसे आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा। जिसमें आयुष्मान भारत में सम्मिलित अर्थात् राशन कार्ड में सूचीबद्ध एवं अन्य समस्त 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक पात्र होगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के समस्त वरिष्ठ नागरिकों से अपील किया गया है कि अपना आयुष्मान वय वंदना कार्ड नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में बनवा लेवें। कार्ड बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड साथ लेकर आवें।

आयुष्मान वयं वंदना कार्ड बनाने के लिए जिले के 11 चिकित्सालयों का चिन्हांकन किया गया है। इनमें जिला चिकित्सालय जशपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पैकु, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आस्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घाघरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कस्तुरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रनपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुजारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बगिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोकड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेलवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तपकरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्हेनझरिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोतबा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागबहार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तमता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरंगपानी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगीचा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सन्ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छिछली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलेसा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पडरापाठ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोदाम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोलेंग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनक्यारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुलदुला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुनकुरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरायणपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कांसाबेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बटाईकेला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फरसाबहार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भगोरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केरसई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लुड़ेग, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शेखरपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरंगपानी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किलकिला, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुर्रोग, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिक्की, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चम्पा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कलिया शामिल हैं।